

आदेश पत्रक - ता०.....से.....तक

जिला....., सं०....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

| आदेश की क्रम संख्या<br>कीस तारीख<br>१ | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>२  | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित<br>३ |
|---------------------------------------|--|---|
| 20.10.2014                            | <p style="text-align: center;"><b>न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा</b></p> <p style="text-align: center;"><b>भूमि विवाद अपील संख्या: 259/2012</b></p> <p style="text-align: center;">केदार झा — अपीलकर्ता</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p style="text-align: center;">फेकनी देवी — विपक्षी</p> <p style="text-align: center;"><b>—:: आदेश ::—</b></p> <p>यह भूमि विवाद अपील अपीलकर्ता द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्ता के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-42/2012, मसौमात फेकनी देवी बनाम केदार झा में पारित आदेश दिनांक 20.06.2012 के विरुद्ध दाखिल किया गया है।</p> <p>2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया।</p> <p>3. उभय पक्ष का विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन संक्षेप में है कि विवादित जमीन खाता पुराना-531, खेसरा पुराना-8489, रकवा-01 कट्टा, 10 धूर मौजा बनगाँव थाना नं०-137, अंचल-कहरा, जिला-सहरसा में स्थित है, जिस पर विपक्षी द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सहरसा के न्यायालय में वाद संख्या-42/2012 दाखिल किया गया कि उक्त जमीन का उन्हें बासगीत पर्चा प्राप्त है, जिस पर केदार झा (अपीलकर्ता) धर बनाने नहीं दे रहे हैं। विपक्षी का यह कथन सही नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विवादित जमीन अपीलकर्ता का पुस्तैनी जमीन है। अपीलकर्ता के पिता तारानन्द झा की दो पत्नियाँ थी। अपीलकर्ता का जन्म एक पत्नी से और दूसरे पत्नी से वीरेन्द्र झा का जन्म हुआ। उनके पिता उनकी माता से सौतेला व्यवहार रखते थे एवं कुल सम्पति का स्वामित्व दूसरी पत्नी के पुत्र वीरेन्द्र झा को बनाने की ईच्छा रखते थे इसलिए सब जज, मधेपुरा के न्यायालय के अधिकार वाद संख्या-107/1966 दाखिल हुआ एवं निष्पादित हुआ। पुस्तैनी संपति के निस्वत् दो प्रविष्टी बनी। एक प्रविष्टि में अपीलकर्ता के पिता एवं सौतेला भाई वीरेन्द्र झा तथा दूसरे प्रविष्टि में अपीलकर्ता थे। खाता-531, खेसरा-8489 की जमीन 4½ डिसमिल है, जिसमें 02 धूर, 05 धूरकी सौतेले भाई के हिस्सा में एवं 2½ डिसमिल जमीन उनको (अपीलकर्ता) को मिला, जिसका अलग जमाबंदी कायम हुआ और वे लगान रसीद कटवा रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उनके सौतेले भाई वीरेन्द्र झा द्वारा विपक्षी के पति बुलो महतो द्वारा उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा संख्या-257/81 दाखिल किया गया, जो दिनांक 31.08.1982 को पारित आदेश द्वारा असत्य पाया गया। विवादित जमीन को लेकर पक्षों के बीच धारा 144 C.R.P.C. चला, जिसमें ना विपक्षी एवं ना ही विपक्षी के पति पर्चा के आधार पर दखल पाये गये। वास्तव में विपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत नहीं हैं। खाता-1404 खेसरा-6783 विपक्षी का है, जिस पर उनका घर बना</p> |   |



हुआ है। अधिकार वाद संख्या 107/1966 में उनको 11 धूर और उनके सौतेले भाई का 11 धूर जमीन ही मिला। विपक्षी को वाद संख्या-116/72-73 में मूल वासगीत पर्चा दाखिल करने का आदेश दिया गया, लेकिन वे दाखिल नहीं की। वह वाद खारिज हो गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उनके जमीन को हड़पने के लिए झूठा वाद विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में लाया गया। वासगीत पर्चा का प्रावधानों के अंतर्गत उपर के वरीय पदाधिकारी के द्वारा ही निर्णय होना है। विवादित जमीन का स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए था, जिसमें सही तथ्य स्पष्ट हो जाता, जो नहीं किया गया। निम्न न्यायालय में विपक्षी फेकनी देवी द्वारा 01 कट्टा 10 धूर जमीन का दावा वासगीत पर्चा के आधार पर किया गया, परन्तु भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सहरसा द्वारा 1½ डिसमिल जमीन पर आदेश पारित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया, जो सही नहीं है। इसे निरस्त किया जाय।

4. विपक्षी का उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन संक्षेप में है कि विवादित जमीन थाना-बनगाँव, अचल-कहरा, जिला-सहरसा खाता पुराना-531, खेसरा पुराना 8489, रकवा-1½ डिसमिल चौहदी उत्तर दयानन्द चौधरी, दक्षिण-विरेन्द्र दास, पूरब सड़क एवं पश्चिम विरेन्द्र दास है। यह जमीन उनके पति के नाम से वासगीत पर्चा वर्ष 1972-73 से प्राप्त है, जिसका मालगुजारी रसीद जमाबंदी संख्या-91 (वासगीत) का बुलो महतो, पिता-जेना महतो, रकवा-1½ डिसमिल वर्ष 2002-03 व 2008-09 तक उनके पति के नाम प्राप्त है। अपीलकर्ता का कथन अपने अपील आवेदन के कंडिका-01 में गलत है कि खाता पुराना-531, खेसरा पुराना-8489, रकवा-01 कट्टा, 10 धूर बिल्कुल गलत है। अपीलकर्ता का कंडिका-03 कथन सही नहीं है कि अधिकार वाद संख्या-107/66 में उनके (विपक्षी) पति को कोई बंदोवस्ती नहीं प्राप्त था तथा फौजदारी वाद संख्या-257/87 के वासगीत पर्चाधारी के अधिकार प्रभावित नहीं होता है। अंदर दफा 144 कथन वासगीत पर्चा के विरुद्ध अपीलकर्ता के अपराधिक मंशा को ही जाहिर करता है। भूमि विवाद वाद संख्या-42/2012 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2012 को बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से पारित किया गया है। वासगीत पर्चा वाद संख्या-116/72-73 से निर्गत वासगीत भूमि पर इंदिरा आवास के अंतर्गत घर बनाने के लिए की गयी तो अपीलकर्ता विपक्षी के विरुद्ध मार-पीट करने लगे, तत्पश्चात् उनको निम्न न्यायालय में भूमि विवाद वाद संख्या-42/2012 दाखिल करना पड़ा, जिसमें दोनों पक्षों के कागजात के अवलोकन के पश्चात् दिनांक 30.06.2012 को आदेश पारित किया गया, जो सही है। विपक्षी भूमिहीन लाल राशन कार्डधारी है, जो पति के नाम प्राप्त वासगीत भूमि पर ही शुरू से रहती आई। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पश्चात् दिनांक 21.08.2012 को डीलर ललन झा के यहाँ मिट्टी तेल ले जाने पर अपीलकर्ता द्वारा मार-पीट किया गया, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक, सहरसा को दिनांक 21.08.2012, 31.03.2013 एवं 08.09.2013 को पुलिस अधीक्षक, सहरसा को दिया गया, लेकिन अपीलकर्ता के पैसे एवं पहुँच के चलते पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर पायी। विपक्षी द्वारा अपीलकर्ता के अपील को दर्जा-खर्चा के साथ खारिज की जाय।

5. निम्न न्यायालय का अभिलेख, आदेश, वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित जबाब दिनांक 08.08.2014 का अवलोकन किया। अपीलकर्ता का दावा है कि विवादित जमीन उनकी पुरतैनी जमीन है। सबजज, मधेपुरा के न्यायालय के अधिकार वाद संख्या-107/1966 में उनको 2½ डिसमिल जमीन एवं उनके सौतेले भाई को 02 धूर, 05 धूरकी जमीन मिला, जिसे जोड़ने पर 1½ कट्टा से कम है। वे लगान रसीद प्राप्त कर रहे हैं एवं अलग जमाबंदी चल रही है। निम्न न्यायालय में विपक्षी द्वारा 01 कट्टा, 10 धूर जमीन पर वासगीत पर्चा के आधार पर दावा किया गया, परन्तु भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सहरसा द्वारा 1½ डिसमिल जमीन पर आदेश पारित किया गया, जो विरोधाभास है। स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया, जिससे सही स्थिति स्पष्ट हो जाती। बँटवारा में मिला हिस्सा पर वे दखलकार हैं। वही विपक्षी का दावा है कि वासगीत वाद संख्या-116/72-73 खाता पुराना-531, खेसरा पुराना-8489, रकवा-1½ डिसमिल जमीन उन्हें प्राप्त है। इंदिरा आवास के अंतर्गत घर बनाना चाहती हैं। अपीलकर्ता उनसे जबरन मार-पीट करते हैं। अपीलकर्ता पहुँच एवं पैसे वाले व्यक्ति है। यह जमीन उनकी (विपक्षी) की है। विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2012 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि फेकनी देवी रैयत प्राप्त है, जिन्हें विवादित छेड़-छाड़ करने का अधिकार केदार झा को नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा पाया गया कि आवंटित की गयी वासगीत पर्चा के आधार पर

30

विवादित भूमि पर फेकनी देवी अधिकार एवं दखल पाने की अधिकारी है। निम्न न्यायालय के आदेश एवं वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, अपीलकर्ता/विपक्षी द्वारा रखे गये तथ्यों की गहन समीक्षा करने पर परिलक्षित होता है कि विपक्षी को पर्चा द्वारा जो जमीन प्राप्त है तथा उसका जमाबंदी के पश्चात् रसीद कटती है तो मूल/स्पष्ट पर्चा देखने के पश्चात् स्थल पर पर्चा में अंकित भूमि की मापी/सीमांकन कराकर प्रतिवादी को दखल/इंदिरा आवास बनवाने की कार्यवाही संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी करायेगें। पर्चा में अंकित भूमि के अतिरिक्त भूमि अपीलकर्ता प्राप्त करेगें तथा वे पर्चा की भूमि में प्रतिपक्षी को भवन निर्माण कराने में कोई दखल न देगें। निम्न न्यायालय के आदेश को इस हद तक संशोधित समझते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। बहस के दौरान मूल वासगीत पर्चा अथवा इस भूमि संबंधी कोई भी कागजात तथा अधिकार वाद संख्या-107/66 नहीं दिखाया गया तथा वाद संख्या-116/72-73 (वासगीत पर्चा अभिलेख) भी नहीं दिखाया गया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख को वापस करते हुए आगे की अग्रतर कार्यवाही एवं शांतिपूर्ण भूमि विवाद का निपटारा उपरोक्त स्थानीय पदाधिकारी द्वारा की जाय।

लेखापित एवं संशोधित।



आयुक्त,  
कोशी प्रमंडल, सहरसा



आयुक्त,  
कोशी प्रमंडल, सहरसा